न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2020 दायरा दिनांक : 09.11.2020

उनवान

मुश्ताक पुत्र रोशन अली, जाति मुसलमान, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– राधेश्याम पुत्र लटूर, जाति मीणा, निवासी बलदेवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– उपपंजीयक खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री गोविन्द नामदेव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.09.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 396/प्रार्थनापत्र/2019 निर्णय दिनांक 15.09.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बल्देवपुरा, तहसील खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 में खतौनी संख्या 57 की खसरा नम्बर 126 रकबा 4.01 बीघा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार मुस्ताक अली ने अपनी आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी राधेश्याम के पिता लटूरलाल को आज से करीबन 80 वर्ष पूर्व बेचान कर दी थी तथा कब्जा आराजी संभला दिया था, तब से प्रार्थी के पिता लटूरलाल व उसके बाद प्रार्थी शांति पूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं व उक्त आराजी का कर्ता भी प्रार्थी के पिता व उसके बाद प्रार्थी जमा करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं और वादी कब्जा मुखालफाना के सिद्धांतों के आधार पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण को समस्त कथन की जानकारी होने के कारण उन्होंने आज दिनांक तक आराजी के कब्जे काश्त बाबत कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया साथ ही अप्रार्थी नम्बर 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वह ग्राम बल्देवपुरा, तहसील खानपुर की जमाबंदी संख्या 2074–2077 में खतौनी संख्या 57 की खसरा नम्बर 126 रकबा 4.01 बीघा आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखें, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

पत्र आंशिक स्वीकार करके ग्राम बल्देवपुरा, तहसील खानपुर की जमाबंदी संख्या 2074–2077 में खतौनी संख्या 57 की खसरा नम्बर 126 रकबा 4.01 बीघा आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने का आदेश प्रदान करके कानूनी त्रुटि की है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी परिस्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी नहीं की जा सकती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में ताफैसला वाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 का उक्त विवादित आराजी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 को उक्त विवादित आराजी का कभी भी बेचान नहीं किया गया है और न ही उक्त आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के कब्जे काश्त में है, बल्कि अपीलांट का अलोटमेंट होने के पश्चात् उक्त आराजी पर निरन्तर एवं निर्विरोध रूप से सबकी जानकारी में कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी आराजी उसके कब्जे काश्त में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 को निरस्त फरमाते हुए रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलांट के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदाखलत एवं मजाहमत पैदा नहीं करें और न ही उक्त कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से ही करवाये ।

राधेश्याम जर्ये वकील रेस्पो. द्वारा साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर दस्तावेज तहरीर दिनांक 10.06.1980 की फोटो कोपी को रिकार्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया गया । अतः हम रेस्पोडेंट राधेश्याम का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2018 पेज 337 से 341, आर आर डी 2018 पेज 694 से 698,आर आर डी 2020(जुलाई व अगस्त) पेज 246 से 248, आर आर डी 1988 पेज 143 से 148, आर आर डी 2019 पेज 418 से 423, आर बी जे 2021 पेज 476 से 480, आर बी जे 2021 पेज 537 से 541 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन एवं मनन किया । वादग्रस्त आराजी ग्राम बल्देवपुरा, तहसील खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 में खतौनी सं. 57 की खसरा नम्बर 126 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा मुस्ताक पुत्र रोशन अली के खाते दर्ज है। खातेदार मुस्ताक ने अपनी आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा लटूरलाल जो कि राधेश्याम के पिता थे को बेचान कर दिया था तथा कब्जा आराजी संभला दिया था । राधेश्याम ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन हें श्री जालिम सिंह पुत्र मदनलाल, प्रभूलाल पुत्र भैरू लाल, रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र बुद्धा, राजाराम पुत्र देवलाल, नन्दलाल पुत्र प्रभूलाल, रामकिशन पुत्र गोर्धना, एवं कजोडीलाल पुत्र भंवर लाल के शपथ पत्र पेश किये हैं। गवाहान के शपथ पत्रों से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के खातेदार मुस्ताक अली ने अपनी आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा राधेश्याम के पिता लटूरलाल को आज से करीब 80 वर्ष पूर्व बेचान कर दिया था तथा कब्जा संभला दिया था तभी से उक्त आराजी पर राधेश्याम के पिता लटूरलाल व उनकी मृत्यु के बाद राधेश्याम वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी का कर्ता भी राधेश्याम के पिता लटूर लाल व उसके बाद राधेश्याम जमा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा